A35

प्रेषक,

संख्या- /X-2-2015-12(25)/2012

डॉ0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

देहरादून दिनांक 27 जनवरी, 2015

विषयः- वन विभाग के अनुदान सं0-27 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के राज्य सेक्टर के आयोजनागत पक्ष की योजना "औषधीय पौधों का संरक्षण, संवर्द्धन" में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, देहरादून के पत्र सं0 927/3-5 (औषधीय पौध रोपण) दि0 26 दिसम्बर, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में द्वितीय अनुपूरक मांग द्वारा अनुदान संख्या-27 की आयोजनागत पक्ष की योजना **"औषधीय पौधों का संरक्षण, संवर्द्धन"** हेतु स्वीकृत धनराशि ₹ 45.00 लाख (₹ पैंतालीस लाख मात्र) अवमुक्त कर व्यय हेतु आपके पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1. उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि के व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-318/XXVII(1)/2014 दि0 18 मार्च, 2014 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के आलोक में कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। साथ ही सक्षम स्तर की अनुमति/यथास्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही विभिन्न मदो में व्यय किया जाय।
2. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. धनराशि का आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।
4. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
5. निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि तत्काल आहरण वितरण अधिकारियों को अवमुक्त कर दी जाय जिससे फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
6. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आंगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।
7. अवमुक्त की जा रही धनराशि से मात्र योजना से सम्बन्धित कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें यदि योजना से इतर कार्यों को कराना पाया गया तो इस हेतु सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगा।

क्रमशः.....2

8. कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/कराया न हो।
9. धनराशि का व्यय दि0 31.03.2015 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि उक्त तिथि के पश्चात कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे नियमानुसार राजकोष में समर्पित कर दिया जायेगा। मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-ब-06/X-2-2010-12 (11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।
10. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का आवंटन पत्र कम्प्यूटर के माध्यम से जनरेट किया गया है एवं इसका Allotment Id S1501270325 है। आप भी अपने स्तर से अधिनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को कम्प्यूटर के माध्यम से online बजट आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे।
11. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1638/XXX-1-12(25)2011, दि0 8 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय-समय पर अध्यावधिक किया जायेगा।

2- उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या-27 के लेखा शीर्षक 2406-वानिकी और वन्य जीवन 01-वानिकी, 102-समाज तथा फार्म वानिकी, 0600-औषधीय पौधों का संरक्षण, संवर्द्धन में **मानक मद 29**-अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा। इस प्रयोजन हेतु Online Budget Allotment की हार्ड कॉपी भी संलग्न की जा रही है।

3- ये आदेश वित्त विभाग के अ0शा0प0सं0 131(P)XXVII(4)/2014-15 दि0 16 जनवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या-176 /X-2-2015-12(25)/2012, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स मैसर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून
4. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून
5. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल।
7. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
11. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
13. गार्ड फाइल।

(श्याम सिंह)
उप सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Secretary, Forest (S016)

आवंटन पत्र संख्या - 176 X-2-2015-12(25)/2012

अनुदान संख्या - 027

अलोटमेंट आई डी - S1501270325

आवंटन पत्र दिनांक -23-Jan-2015

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

: लेखा शीर्षक

2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन

01 - वानिकी

102 - समाज तथा फार्म वानिकी

00 - रोजगार परक वृक्षारोपण योजना- टेक्सस बकाटा,च्यूर

06 - औषधीय पौधों का संरक्षण, संवर्द्धन

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्र	250000	0	250000
29 - अनुरक्षण	2000000	4500000	6500000
42 - अन्य व्यय	500000	0	500000
44 - प्रशिक्षण व्यय	250000	0	250000
	3000000	**4500000**	**7500000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 4500000